समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

1 भोलूप्रसाद आ. स्व. हरकिशन कतिया निवासी ग्राम समनापुर
तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद

2. श्रीमती सनियाबाई कतिया पत्नी श्री भोलूप्रसाद कतिया
निवासी ग्राम समनापुर तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद ..... आवेदगण

विरूद्व

1. श्रीमती बटोबाई उम्र करीब 60 साल पत्नी स्व.श्री श्रीराम पगारे
जाति कतिया हाल निवास बैंक कॉलोनी पिपरिया तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद
2. जामनलाल उम्र करीब 47 साल आ. श्री हरप्रसाद उर्फ हरकिशन पगारे
जाति कतिया निवासी ग्राम निभौरा तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद
3. अंतराम पगारे उम्र करीब 45 वर्ष आ. स्व. श्रीराम पगारे
निवासी बैंक कॉलोनी पिपरिया तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद
4. गंगाराम पगारे आ. स्व.श्री सुमेरीलाल पगारे जाति कतिया
निवासी ग्राम बंदीछोड़ पिपरिया तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद
5. गुलाब पगारे आ. स्व.हरप्रसाद पगारे जाति कतिया
निवासी ग्राम निभौरा तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद
6. श्रीमती छोटीबाई पगारे पत्नी स्व. हरप्रसाद उर्फ हरकिशन पगारे
निवासी ग्राम निभौरा तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद ..... उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता के अंतर्गत

आवेदकगण यह पुनरीक्षण याचिका अपर कलेक्टर महोदय होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 7अ/6वर्ष 2015–16 भोलूप्रसाद विरूद्व बटोबाई बगैरा मे पारित आदेश दिनांक 21.06.2017 जो कि श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय सोहागपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 24अ/6 वर्ष 2013–14 बटोबाई बगैरा विरूद्व भोलूराम बगैरा मे पारित आदेश दिनांक 07.01.2016 से उत्पन्न हुआ, अपर कलेक्टर महोदय द्वारा पारित आदेश की जानकारी दिनांक 12.03.2018 को हुई और उसी दिन प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 14.06.2018 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई तब यह पुनरीक्षण याचिका उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधार एवं कारणों पर प्रस्तुत करते हैं :–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगबाद/भू.रा./2018/4456

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-1-2019	आवेदकगण की ओर से श्री संदीप दुबे, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को सुनवाई हेतु आयुक्त के समक्ष उपस्थित हों । अनावेदकगण को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	